

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक: 15.10.2006

प्रेसमड को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2023-24

प्रेसमड को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता

.....

.....

.....



दिनांक

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर
Managing Director
M.M.S.S.K. Ambikapur

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

प्रेसमड ट्रेक्टर द्वारा ढुलाई हेतु निविदा वर्ष 2023-24

ई-निविदा प्रपत्र

ई-निविदा विज्ञापित क्रमांक 1639(05)

दिनांक 05/10/2023

ऑन लाईन ई-निविदा क्रमांक 149358

पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रेसमड को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा
आमंत्रित की जाती है।

1	वाहन मालिक/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स
2	फर्म का पता	:.....
3	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रुपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को http://eproc.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 07/10/2023 को साम 05.00 बजे से दिनांक 23/10/2023 को समय दोपहर 12.00 बजे तक को http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड कर सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 23/10/2023 को समय दोपहर 04.00 बजे के बाद

6. अमानत/ई.एम.डी. राशि - निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु राशि रुपये 60,000.00 रुपये (शब्दों में :- साठ हजार रुपये मात्र) कारखाने के खाते में (खाता नं 50100497159999 HDFC Bank Ambikapur, IFSC Code -: HDFC0009495) में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। RTGS/NEFT/TRANSFER के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई-निविदा के भाग-1 में संलग्न करना अनिवार्य होगा।



प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम-केरता

प्रेसमड ट्रेक्टर द्वारा ढुलाई हेतु ई-निविदा वर्ष 2023-24

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम :.....
2. पता :.....
:.....
:.....
3. मोबाईल नं. :.....
4. ई-मेल आई.डी. :.....
5. जी.एस.टी. नम्बर :.....
(छायाप्रति संलग्न करें)
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर :.....
(छायाप्रति संलग्न करें)
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक :.....
(छायाप्रति संलग्न करें)
8. वैधता की तिथि :.....
9. बैंक का नाम :.....
10. खाता क्रमांक :.....
11. ई.एम.डी. जमा राशि :शब्दों में.....
12. यू.टी.आर. नम्बर :
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा :
(जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)

निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर



E:\Press mud Handling Tender

3

—:: निविदा की शर्तें ::—

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1639(05)

दिनांक 06/10/2023

1. निविदाकार को तकनीकी भाग-2 के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्रमिकों का जीवित बीमा की छायाप्रति, 03 ट्रेक्टर स्वयं का या अनुबंधित होने पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र सहित 03 ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन एवं जीवित बीमा की छायाप्रति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में से किसी तीन वर्ष का किन्तु लगातार वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट अथवा आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकार ठेकेदार का पंजीयन श्रम अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग से पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. प्रेसमड को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य 24 घण्टे का है इस कार्य हेतु 03 ट्रेक्टर स्वयं का या अनुबंधित होने पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र एवं 03 ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन एवं जीवित बीमा संलग्न कर निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. प्रेसमड को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ट्रेक्टरों में लगने वाला डीजल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना होगा कारखाना से डीजल नहीं दी जावेगी।
5. तकनीकी भाग-2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं व्यावसायिक भाग-3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. प्रेसमड को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य का दर प्रति ट्रेक्टर प्रति दिवस, समस्त लेबर सहित एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त दिया जावेगा जी.एस.टी. के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समस्त कर ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारखाना को जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी.



का क्रेडिट नहीं मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।

7. प्रेसमड को हटाने के लिए लगाए गये मजदूरों का बीमा अनिवार्य है।
8. प्रेसमड को नर्सरी में वॉच टावर के पास चीफ इंजीनियर/चीफ केमिस्ट/गन्ना विभाग के अधिकारी के बताये गये स्थान पर सुव्यवस्थित स्थान पर रखना होगा। उसके अलावा अन्य किसी स्थान या रास्ते में डाले जाने पर या गिर जाने पर 20,000 रुपये (बीस हजार) की राशि कटौती की जायेगी।
9. प्रेसमड हैंडलिंग कार्य में प्रत्येक पाली में मजदूर एवं ट्रैक्टर नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. प्रेसमड के लोडिंग की जगह प्रत्येक पाली में चार मजदूर रखना अनिवार्य होगा। जिनके द्वारा प्रति दिन नियमित रूप से लोडिंग एवं फ्लोर की नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य होगा। अगर उक्त जगह मजदूर साफ-सफाई नहीं होने पर उस दिन का राशि भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. प्रेसमड ट्रैक्टर/मजदूर की वजह से अगर ओवरफ्लो/जमी हुई प्रेसमड की वजह से वैक्युम फिल्टर बन्द हो जाने पर प्रति घण्टा 20,000 रुपये (बीस हजार) राशि कि कटौती की जायेगी।
12. प्रेसमड हैंडलिंग के लिए प्रत्येक पाली में 03 ट्रैक्टर और 03 ड्राइवर सहित रखना अनिवार्य होगा। नहीं पाये जाने पर उस दिन की राशि भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. आवश्यकता पड़ने पर लाईम ETP को पहुंचाने का कार्य करना आपको अनिवार्य होगा।
14. प्रेसमड हैंडलिंग कार्य की देख-रेख हेतु एक सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा जिसको कार्य का रिपोर्टिंग केमिस्ट को देना अनिवार्य होगा।
15. प्रेसमड निर्धारित जगह पर अलग-अलग क्रमानुसार सुव्यवस्थित रूप से रखना अनिवार्य होगा, गन्ना विभाग के अधिकारी के स्वीकृति के बाद ही बिल का भुगतान किया जायेगा।



16. निर्धारित स्थान पर आवश्यकतानुसार प्रेसमड को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु प्रत्येक पाली में आवश्यकतानुसार मजदूर रखना अनिवार्य होगा।
17. अपने मजदूरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
18. प्रत्येक मजदूर को हेलमेट, सेफ्टी शुज, गॉगल, युनिफार्म, मास्क एवं ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
19. प्रेसमड प्रत्येक पाली प्रतिदिन के अनुसार अपने मजदूरों को हाजरी का मास्टर अपने सुपरवाइजर द्वारा रखना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रति पाली प्रति दिन लैब इंचार्ज/शिफ्ट केमिस्ट/लैब इंचार्ज का साईन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।
20. कारखाना प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
21. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
22. अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कायदेशि निरस्त करने सम्बंधी पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकार ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर



सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्म.....
प्रतिनिधि का नाम.....पिता का नाम
..... फर्म का पता.....
.....मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करूंगा।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यदेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रुपये कारखाना के खाता क्रमांकमें राशि रुपये.....
.....दिनांक.....को.संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।



निविदाकार का हस्ताक्षर